



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-26102021-230726
CG-DL-E-26102021-230726

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4104]

नई दिल्ली, मंगलवार, अक्टूबर 26, 2021/कार्तिक 4, 1943

No. 4104]

NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 26, 2021/KARTIKA 4, 1943

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 अक्टूबर, 2021

का.आ. 4459(अ).—केन्द्रीय सरकार, राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 3 के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उड़ीसा राज्य के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 220 के कि.मी 86.04 से 91.840 और कि.मी 103.260 से 108.940 तक के भूखंड को पेव्ड शोल्डर के साथ दो लेन में उन्नयन और मिसिंग लिंक, पुनर्संरक्षण और बैटरनी और देव नदी पर एचएल पुल का निर्माण हेतु, भारत सरकार, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 3098(अ), दिनांक 03 अगस्त, 2021 में निम्नलिखित गाओं शामिल किया जाता है।

अनुसूची

उड़ीसा राज्य में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या - 220 पर भूमि का अधिग्रहण

पाद टिप्पणी :- मूल अधिसूचना संख्या का.आ 3098 (अ) दिनांक 03, अगस्त 2021 जो भारत के राजपत्र, असाधारण भाग-II, खंड-3, उप-खण्ड -(ii) में दिनांक 03, अगस्त 2021 को प्रकाशित की गई थी।

क्रमिक संख्या	सक्षम प्राधिकारी	भूमि का विवरण	राज्य	जिले का नाम	तालुक का नाम	गांव का नाम
1	2	3	4	5	6	7

1	तहसीलदार, पाटना	राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या NH220 के कि.मी. 105 से 108.94 तक	उड़ीसा	क्योंझर	पटना	1	कुअपोसी
---	--------------------	--	--------	---------	------	---	---------

[फा. सं. RO/BBSR/11017/LA/97/2016]

राजेश गुप्ता, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS**NOTIFICATION**

New Delhi, the 26th October, 2021

S.O. 4459(E).—In exercise of powers conferred by clause (a) of section 3 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government hereby adds the following additional village in the schedule of land acquisition published in the Ministry of Road Transport & Highways notification vide S.O. No. 3098(E) dated 03.08.2021 for the work "widening and strengthening to 2-lane with paved shoulder from Km. 86/040 to 91/840 and Km. 103/260 to 108/940 of NH-220 including missing link, realignment and construction of HL bridge over river Baitarani and Deo" in the State of ODISHA.

SCHEDULE**Land acquisition on National Highway No. 220 in the State of ODISHA.**

Foot Note: The principal Notification was published vide S.O. 3098(E) dated 03rd Aug, 2021 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-3, Sub-Section (ii), dated 03rd Aug, 2021.

Sl. No.	CALA	Stretch	State	District	Taluk/Mandal	Name of the Village
1	2	3	4	5	6	7
1	Tahasildar, Patna	105KM To 108.94KM	ODISHA	KEONJHAR	Patna	1 Kuaposi

[F. No. RO/BBSR/11017/LA/97/2016]

RAJESH GUPTA, Director